# फर्द अहकाम

## न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री पन्नालाल गोयल पिता श्री देवीलाल निवासी स्टेशन मारवाड़, राणावास जिला पाली — **अपीलार्थी**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम — **प्रत्यर्थी**

**किस्म मुकदमा** — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 79 / 2025**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 08.09.2025**<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम से जरिये पत्र क्रमांक / सू0अ0 / 2025 / 496 दिनांक 26.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री पन्ना लाल गोयल सेवा निवृत नायब तहसीलदार द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 2005 प्रथम अपील की गयी थी। इसी क्रम में प्रार्थी श्री गोयल की सेवा अभिलेख इस कार्यालय से उपलब्ध करायी जाकर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक द्वारा लेखा / 2025 / 492–93 दिनांक 26.08.2025 को श्रीमान को चयनित वेतन मान हेतु भिजवा दी गयी है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।<br>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रार्थी श्री गोयल की सेवा अभिलेख इस कार्यालय से उपलब्ध करायी जाकर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक द्वारा लेखा / 2025 / 492–93 दिनांक 26.08.2025 को श्रीमान को चयनित वेतन मान हेतु भिजवा दी गयी है।<br>अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।<br>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम को भिजवायी जावे।<br>**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**<br>लोक सूचना अपीलीय अधिकारी<br>(जिला कलक्टर) राजसमंद | |

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)